

भारत सरकार(GOVERNMENT OF INDIA) रेल मंत्रालय(MINISTRY OF RAILWAYS) रेलवे बोर्ड(RAILWAY BOARD)

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

सं. 2024/टीजी-।/20/पी/रिजर्वेशन चार्ट

नई दिल्ली, दिनांक 02.07.2025

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें।

प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

(2025 का वाणिज्य परिपत्र सं. 10)

विषय: प्रथम आरक्षण चार्ट तैयार करना।

संदर्भ: इस कार्यालय के दिनांक 15.04.2025 के पत्र के तहत जारी अनुदेश?

ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के तहत क्षेत्रीय रेलों को यह सूचित किया गया था कि आरंभिक स्टेशन से सुबह के शुरूआती घंटों में 0900 बजे तक या क्षेत्रीय रेलों द्वारा यथा-निर्धारित समय पर प्रस्थान करने वाली सभी गाड़ियों का प्रथम चार्ट प्राथमिक तौर पर एक पिछली रात में 2100 बजे से पूर्व तैयार हो जाना चाहिए। हालांकि, दूसरा चार्ट मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा करेंट बुकिंग की जा सके।

- 2. मामले की समीक्षा की गई है और निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है-
 - क. सुबह 0500 बजे से दोपहर 1400 बजे तक प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिए प्रथम आरक्षण चार्ट प्राथमिक तौर पर एक दिन पहले 2100 बजे तक तैयार किया जाएगा।
 - ख. दोपहर 1400 बजे से रात 23.59 तक एवं 00.00 बजे से सुबह 0500 बजे के बीच प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिए प्रथम आरक्षण चार्ट प्राथमिक तौर पर 08 घंटे पहले तैयार किया जाएगा।
 - ग. दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार करने से संबंधित मौजूदा प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
 - घ. ये अनुदेश दूरस्थ स्थानों (रिमोट लोकेशन) पर चार्ट तैयार करने के लिए भी लागू होंगे।

3. तदनुसार, सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(प्रवीण कुमार)

निदेशक यात्री विपणन/समन्वय फोन नं. 011-23043757 ईमेल आई डी -pk.irts2011@gov.in कमरा नं. 461, चौथी मंजिल

रेलवे बोर्ड



International Year of Cooperatives Occoperatives Build a Better World OCCOPERATION (अगरतसरकार) RAILWAY BOARD (रेलवेबोर्ड)



No. 2024/TG-I/20/P/ReservationChart

New Delhi, dated 02.07.2025

Principal Chief Commercial Managers, All Zonal Railways

Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

(Commercial Circular no. 10 of 2025)

Sub: Preparation of first reservation charts.

Ref: Instructions issued vide this office letter dated 15.04.2025.

Vide instructions mentioned above, zonal Railways were advised that the first reservation charts of all the trains leaving in the early morning hours departing from the originating upto 0900 hours or as decided by the Zonal railway, should be prepared preferably before 2100 hours on the previous night. The second chart may, however, be prepared as per the extant guidelines so as to maximize the current bookings.

- 2. The matter has been reviewed and it has been decided as under:
 - a. For the trains with departure between 0500 hours and 1400 hours, first reservation chart will be prepared preferably by 21:00 of previous day.
 - b. For the trains with departure between 14:00 and 23:59 and 00:00 and 5:00, first reservation chart will be prepared preferably 8 hours in advance.
 - c. There shall be no change in extant provisions regarding preparation of second reservation charts.
 - d. These instructions also cover charting at remote locations.

3. Necessary instruction may be issued to all concerned accordingly.

(Praveen Kumar)

Director Passenger Marketing/Coordination
Phone No. 011-23043757
E-Mail ID- pk.irts2011@gov.in
Room No. 461 4th Floor,
Railway Board